

माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ
नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ के 'एम' ब्लॉक में स्थिति 6 दुकानों (भूतल: 2 दुकानें फोटोकापी, 2 दुकानें प्रतिष्ठित विधि पुस्तक प्रकाशक/कम्पनी व प्रथम तल: 2 दुकानें फोटोग्राफी हेतु) को अनुज्ञप्ति पर दिये जाने हेतु नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

6 दुकानों (भूतल: 2 दुकानें फोटोकापी, 2 दुकानें प्रतिष्ठित विधि पुस्तक प्रकाशक/कम्पनी व प्रथम तल: 2 दुकानें फोटोग्राफी हेतु) की नीलामी दिनांक 01.04.2017 (शनिवार) को दोपहर 12.30 बजे माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ 'एम' ब्लॉक परिसर में की जायेगी। दुकानों के उपयोग व नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्तें आवेदन पत्र के साथ संलग्न हैं जिन्हें इच्छुक व्यक्ति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 31.03.2017 तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक रूपये 100.00 का शुल्क अदा करके प्राप्त किया जा सकता है तथा पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को दिनांक 31.03.2017 तक प्रातः 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर जमा किया जा सकता है।

नीलामी की नियम व शर्तें तथा आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर भी उपलब्ध हैं तथा डाउन लोड भी की जा सकती है, किन्तु डाउनलोड किये गये आवेदन पत्र के साथ 'वरिष्ठ निबन्धक, हाई कोर्ट, लखनऊ' के नाम रूपये 100.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट (आवेदन पत्र शुल्क) दुकान के सम्बन्ध में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

दुकानों की नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के गेट न0.6 के निकट, फ़ैजाबाद रोड की तरफ स्थित 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 31.03.2017 तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। वरिष्ठ निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी आवेदन पत्र को बिना कारण बताये अस्वीकार अथवा निरस्त कर सकता है।

दिनांक 23.03.2017

वरिष्ठ निबन्धक
उच्च न्यायालय, लखनऊ।

कार्यालय वरिष्ठ निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय
लखनऊ पीठ, लखनऊ

नीलामी सूचना

संख्या : 6 दुकानें
विषय : अनुज्ञप्ति पर देने हेतु दुकानों की नीलामी
नीलामी की तिथि : 01 अप्रैल, 2017
स्थान : 'एम' ब्लॉक, माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर,
लखनऊ।
दुकानों का विवरण : 'एम' ब्लॉक, माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर,
लखनऊ

क्रम संख्या	दुकान संख्या, (जैसा कि प्रत्येक दुकान में अंकित है)	दुकान का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	दुकान का प्रकार (जिस हेतु दुकान अनुज्ञप्ति पर दिया जाना है)
			'एम ब्लॉक' भूतल
1	3	192.46	प्रतिष्ठत विधि पुस्तक प्रकाशक / कम्पनी हेतु
2	4	185.82	प्रतिष्ठत विधि पुस्तक प्रकाशक / कम्पनी हेतु
3	7	179.19	फोटोकापी दुकान हेतु
4	14	188.40	फोटोकापी दुकान हेतु
			'एम ब्लॉक' प्रथम तल
5	101	174.21	फोटोग्राफी दुकान हेतु
6	102	184.99	फोटोग्राफी दुकान हेतु

नीलामी की शर्तें

1. दुकानें, 'जहाँ है जैसी है' की स्थिति में दिनांक 10.04.2017 से दिनांक 31.03.2018 तक अनुज्ञप्ति पर देने हेतु नीलाम की जायेंगी।
2. दुकानों के लिये बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु **अग्रिम जमानत राशि ₹0 20,000.00** नकद जमा करनी होगी, जो नीलामी समाप्त होने पर, नीलामी में असफल व्यक्ति को नियमानुसार वापिस कर दी जायेगी तथा नीलामी में सफल व्यक्ति के मामले में अग्रिम जमानत राशि उसके अनुज्ञप्ति शुल्क में समायोजित कर ली जायेगी।
3. कोई भी अपराधिक इतिहास/अपराधिक प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति नीलामी में भाग नहीं ले सकता है। इस सम्बन्ध में नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक

व्यक्ति को अपना चरित्र प्रमाण पत्र किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा सत्यापित करवा कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

4. नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित आवेदन-पत्र पर, जिसका मूल्य रूपये 100.00 प्रति आवेदन पत्र होगा, आवेदन करना होगा जोकि माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 31.03.2017 तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं तथा पूर्ण रूप से भरे जाने के पश्चात् इन आवेदन पत्रों को दिनांक 31.03.2017 तक प्रातः 10.00 बजे से शाम 4.00 तक माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर जमा किया जा सकता है।
5. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आवेदन पत्र के साथ अपने आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस की एक छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
6. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 31.03.2017 तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।
7. नीलाम होने वाली दुकानों को नीलामी वाले दिन नीलामी के समय से 2 घण्टे पूर्व गेट नम्बर 6 से नियमानुसार पास/अनुमति प्राप्त कर, माननीय उच्च न्यायालय में स्थित 'एम' ब्लॉक में देखा जा सकता है तथा बोली बोलने वाले व्यक्ति का यह स्वयं उत्तरदायित्व होगा कि वह बोली लगाने से पूर्व उक्त दुकानों का पूर्ण निरीक्षण कर ले।
8. किसी भी दुकान की बोली हेतु **न्यूनतम निर्धारित मूल्य (अनुज्ञप्ति शुल्क) ₹0 2,30,000.00** है।
9. जिस बोलीदाता की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी, उसे बोली की 25 प्रतिशत धनराशि (अग्रिम जमानत धनराशि समायोजित करने के पश्चात् शेष धनराशि) तुरन्त जमा करनी होगी, यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा नहीं की जाती है तो बोली स्वतः निरस्त समझी जायेगी व जमानत की अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इस स्थिति में नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम बोली से दूसरे नम्बर की बोली लगाने वाले व्यक्ति को सम्बन्धित दुकान को अनुज्ञप्ति पर देने हेतु आमंत्रित कर सकता है तथा इस प्रकार आमंत्रित किये जाने वाले व्यक्ति द्वारा अपनी बोली के अनुसार उपरोक्त शर्तों को पालन किया जायेगा।
10. शेष 75 प्रतिशत धनराशि सफल व्यक्ति को नीलामी की दिनांक से 5 कार्य दिवस की अवधि के अन्दर जमा करनी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके अग्रिम जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा पहले से जमा 25 प्रतिशत धनराशि भी नीलामी समिति के विवेकानुसार जब्त की जा सकती है।

11. नीलामी की गयी दुकान का कब्जा उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को तभी दिया जायेगा, जबकि उसने दुकान के अनुज्ञापति शुल्क का पूरा भुगतान कर दिया हो।
12. वर्तमान में दुकान के अस्थायी अनुज्ञापति धारक भी इस नीलामी में भाग ले सकते हैं और यदि वे इस नीलामी में भाग नहीं लेते हैं या इस नीलामी में सफल नहीं होते हैं, तो उन्हें दिनांक 31.03.2017 को रात्रि 12.00 बजे तक वर्तमान में अस्थायी तौर पर आवंटित दुकान खाली कर उसका कब्जा नजारत विभाग को देना होगा।
13. बोली में सफल व्यक्ति को दुकान लेने से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय के साथ एक वर्ष के लिये रूपये 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर अनुज्ञापति अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे।
14. बोली में सफल जिस व्यक्ति को दुकान दी जायेगी, वह व्यक्ति दिनांक 31.03.2018 तक दुकान से अपना सामान हटा कर रात्रि 12.00 बजे तक या उससे पहले दुकान खाली कर देगा।
15. जिस उद्देश्य हेतु दुकान की नीलामी की जायेगी, वह दुकान उसी उद्देश्य हेतु प्रयोग की जायेगी, अन्य किसी प्रकार से नहीं।
16. बोली में सफल व्यक्ति दुकान को स्वच्छ व साफ स्थिति में रखेगा।
17. बोली में सफल व्यक्ति दुकान में कूड़ादान रखेगा तथा कूड़ा-कचरा उसी कूड़ादान में डालेगा।
18. बोली में सफल व्यक्ति दुकान की भौतिक स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई स्थायी परिवर्तन नहीं करेगा और न ही दुकान की भौतिक स्थिति को कोई नुकसान पहुंचायेगा।
19. दुकान में रखे जाने वाले सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं दुकान रखने वाली की होगी तथा माननीय उच्च न्यायालय किसी भी दशा में चारी, संध, आग या किसी अन्य घटना, यदि कोई हो, के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
20. दुकानों का संचालन सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक किया जा सकेगा।
21. दुकान में प्रयोग की जाने वाली बिजली के लिये अलग से एक सब-मीटर लगा हुआ है तथा दुकान लेने वाले व्यक्ति को मीटर की रीडिंग के अनुसार प्रति माह 30 प्र0 में प्रचलित बिजली दर के अनुसार उच्च न्यायालय के केश विभाग में जमा करना होगा।
22. दुकानों में सामान्य बिजली कनेक्शन दिया गया है यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार की बिजली के उपकरण लगाना चाहता है तो वह स्वयं अपने

खर्च पर इस प्रकार का प्रबंध कर सकता है। इस स्थिति में दुकान को खाली करते समय उसे अपने द्वारा लगाये गये बिजली के उपकरण आदि को हटाना होगा तथा ऐसे उपकरण को हटाते समय भवन को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं कारित की जायेगी।

23. एक व्यक्ति को केवल एक ही दुकान अनुज्ञप्ति पर दी जायेगी। किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक दुकान अनुज्ञप्ति पर नहीं दी जायेगी।
24. जिस व्यक्ति को दुकान अनुज्ञप्ति पर दी जायेगी, वह स्वयं उसका उपयोग करेगा तथा अन्य किसी व्यक्ति का वह दुकान संचालन हेतु नहीं देगा।
25. बोली में सफल व्यक्ति अनुज्ञप्ति पर दुकान प्राप्त करने के पश्चात् किसी अन्य व्यक्ति को दुकान हस्तांतरित नहीं कर सकता है।
26. फोटोकापी की दुकान के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति, जिसको दुकान अनुज्ञप्ति पर दी जाती है, वह दुकान में अधिकतम तीन फोटोकापी मशीन ही रख सकता है।
27. माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी कार्यदिवस में कार्यावधि के दौरान किसी भी दुकान के स्थल का भौतिक निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
28. यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उच्च न्यायालय प्रशासन को अनुज्ञप्ति अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।
29. नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे, अन्तिम बोली की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति के अधीन होगी।
30. उपरोक्त नीलामी की शर्तों के विषय में दोनो पक्षों में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पीड़ित पक्ष मामले के निवारण हेतु मामले को किसी तृतीय सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है तथा फिर भी यदि दोनो पक्षों की संतुष्टि के अनुसार विवाद का निवारण नहीं होता है, तो पीड़ित पक्ष आर्बिट्रेशन एण्ड कंशिलिएशन एक्ट, 1996 के प्रावधानों के अनुसार विवाद के निवारण हेतु किसी मध्यस्थ की नियुक्ति के लिये आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है।
31. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।
32. नीलामी के ठीक पूर्व नीलामी समिति द्वारा अन्य नियम व शर्तों की जानकारी दी जायेगी।

आज्ञा से,

वरिष्ठ निबन्धक
उच्च न्यायालय, लखनऊ।

आवेदन पत्र

आवेदनकर्ता
का
स्वप्रमाणित
फोटोग्राफ

माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ के 'एम' ब्लॉक में स्थित
दुकान को अनुज्ञप्ति पर लेने हेतु आवेदन पत्र

1. दुकान की श्रेणी : प्रतिष्ठित विधि पुस्तक प्रकाशक/कम्पनी हेतु
(जो लागू हो उसे टिक ✓ कर दे) फोटोकापी हेतु
फोटोग्राफी हेतु
2. आवेदनकर्ता का नाम/फर्म का नाम :
(जिसके नाम आवेदन किया जाना है)
3. पिता/पति का नाम / :
प्रोपराइटर का नाम
4. लिंग :
5. उम्र :
6. पता :
7. मोबाइल नम्बर :
8. राष्ट्रीयता :
9. यदि आवेदन पत्र वेब साइट से :
डाउन लोड किया गया है तो

डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने वाले
बैंक का नाम

डिमाण्ड ड्राफ्ट की रकम

डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या

डिमाण्ड ड्राफ्ट की तिथि

दिनांक :
संलग्नक

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

नोट :

1. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस की एक छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना चरित्र प्रमाण पत्र किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा सत्यापित करवा कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।